संख्या-5/2022/366/96-आयुष-1-2022-413/2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 08 मार्च, 2022**

विषय-राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी के नियंत्रणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौबेपुर के चहारदीवारी के निर्माण हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-136/332टी0सी0/योजना/2021-22; दिनांक 28.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी के नियंत्रणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौबेपुर के चहारदीवारी के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-22/2021/1467/96-आयुष-1-2021-413/2019, दिनांक 23.03.2021 द्वारा धनराशि रू0-100.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-50.005 लाख अवमुक्त किया गया है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी के नियंत्रणाधीन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौबेपुर के चहारदीवारी के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-33 के अंतर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि रू0-50.005 लाख (रूपया पचास लाख पॉच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेद कालेज एवं चिकित्सालय वाराणसी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, संबंधित प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
3- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
5- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

9- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

10- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 800-अन्य व्यय, 05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल-00 के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2022/366(1)/96-आयुष-1-22, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी।
(6) संबंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in